



कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  
कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2021 द्वारा प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा (इतिहास) के पद पर चयनोपरान्त पदस्थापन आदेश जारी किये जाकर दिनांक 10.04.2021 तक सम्बन्धित विद्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था। निम्नांकित कार्मिकों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर कार्यग्रहण अवधि दिनांक में अभिवृद्धि की जाती है-

क्रम	नाम कार्मिक	आदेश में क्रम	व्याख्याता विषय	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण अभिवृद्धि कारण एवं दिनांक	
1	नीतू अध्यापिका L-2 राउप्रावि बंडवा-चूरु	199	इतिहास	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SONPALSAR (215276) CHURU	मातृत्व अवकाश	19.05.2021
2	दीपिका पंचोली, अध्यापिका L-1 राप्रावि काउडीफला उदयपुर	449	इतिहास	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHYAMPURA (223494) SEMARI - UDAIPUR	मातृत्व अवकाश	31.05.2021

इन्हें उक्त कार्यग्रहण अभिवृद्धि दिनांक तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढी जावें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-2018/2021/  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

दिनांक-23/03/21

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि दस्तावेजों को शाला दर्पण पर कार्मिक विवरण अद्यतन आवश्यक रूप से किया जावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
7. संबन्धित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान/कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर